



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

परियोजना कार्यान्वयन ईकाई : डी-81, गोविन्दपुरी, सचिन तेंदुलकर मार्ग, ग्वालियर (म. प्र.)-474011

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Project Implementation Unit : D-81, Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior (M.P.)-474011

फोन/Phone : 0751-2231485, ई-मेल/E-mail : gwalior@nhai.org; nhai@nhai.org



BHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

[संशोधित]

भा.रा.रा.प्रा./प.का.ई.-ग्वालियर/वेस्टर्न बायपास/फॉरेस्ट/2025/16471

दिनांक 08.10.2025

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

विषय:- ग्वालियर जिले के अंतर्गत वेस्टर्न बायपास के निर्माण हेतु 42.83 हेक्टेयर वन भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ग्वालियर को उपयोग पर देने बावत् (Online Proposal no. FP/MP/ROAD/149532/2021)

संदर्भ:- (1) आपका कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./25/5500 दिनांक 22.09.2025.

(2) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 16353 दिनांक 17.09.2025.

(3) आपका कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./25/3434 दिनांक 06.06.2025, 3827 दिनांक 25.06.2025 एवं 5149 दिनांक 09.09.2025.

(4) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-5/1121/2022/10-11/1438 दिनांक 09.05.2025.

(5) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र क्रमांक/6-MPR.015/2022-BHO/ दिनांक 07.05.2025.

महोदय,

विषयांतर्गत प्रकरण में कृपया आपके संदर्भित पत्र क्रमांक (1) का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से ग्वालियर जिले में वेस्टर्न बायपास के निर्माण हेतु 42.83 हेक्टेयर वन भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ग्वालियर को उपयोग पर देने संबंधी प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल द्वारा पत्र दिनांक 07.05.2025 से जारी सैद्धांतिक स्वीकृति अंतर्गत अधिरोपित शर्तें (A) 01 लगायत 14 तक (B) 01 लगायत 16 तक के अनुसार राशि जमा करने एवं वचन-पत्र सहित समस्त शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है, ताकि प्रकरण में औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

2. तदनुसार, प्रकरण में जारी सशर्त सैद्धांतिक वन्यप्राणी स्वीकृति में निहित शर्तों की अनुपालना निम्नानुसार है:-

क्र०	अधिरोपित शर्त	पालन-प्रतिवेदन
A.	Conditions which need to be complied prior with handing over of forest land by the State Forest Department.	
1.	The cost of compensatory afforestation on the 85.66 ha CA degraded-forest land at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provisions for anticipated cost increase for the works scheduled for subsequent years.	In compliance with Condition No. 01 of in-principle approval issued in the case and as per DFO Gwalior letter No. 5500 dated 22.09.2025, a total amount of ₹7,46,95,301/- towards the Compensatory Afforestation Plan for the total diverted forest area of 85.66 hectares has been deposited by this office under the CAMPA head on 01.10.2025. The transaction reference number is BCBT52025100166806974. A copy of the statement is enclosed herewith.

-1/5-

Head Office : Plot No. G-5/6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075 Website : www.nhai.gov.in

Regional Office : House No. 41, Andarsh Nagar, Narmada Road, Jabalpur (M.P.) - 482008 E-mail : rojabalpur@nhai.org

Phone : 011-25074100, 200

Phone : 0761-3585028

सड़कें ही नहीं, राष्ट्र का निर्माण भी | Building a Nation, Not Just Roads

2.	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 42.83 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in 1A No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006 FC dated 03/10/2006, 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 & 5-3/2011-FC (Vol-1) dated 06/01/2022 in this regard.	In compliance with Condition No. 02 of in-principle approval issued in the matter, and as per DFO Gwalior letter No. 5500 dated 22.09.2025, the total Net Present Value (NPV) amounting to ₹18,66,95,267/- for 42.83 hectares of forest land comprising 38.025 hectares of reserved forest land falling within the sanctuary area and 4.8 hectares of reserved forest land in the general area has been deposited by this office under the CAMPA head on 01.10.2025. The transaction reference number is 52025100166806974, and a copy of the statement is enclosed herewith.
3.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred /deposited in CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/)	Accordingly, all the funds has been transferred/deposited in CAMPA fund through e-portal (https://parivesh.nic.in/).
4.	Complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from concerned District Collector.	FRA certificate from District Collector Gwalior is attached herewith.
5.	The acoustic noise barrier system/Crash barrier system may be installed/executed as per specifications of IRC SP130-2022 and IRC code: 119-2015 wherever required during the construction of proposed road in consultation with the concern DFO. The area and geocoordinate detail may be submitted for length in which noise/crash barrier shall be installed. The same may also be marked in the KML of diversion area in different colour.	Accordingly, requisite information has been submitted.
6.	The area proposed for raising CA in DFL shall be shifted adjacent to the natural boundary of the compartment and ensure that the area accommodates at least 85.660 plants in the proposed DFL. The KML of CA area may be revised accordingly.	Forest Department will comply with the condition.
7.	The User Agency shall prepare a site improvement plan for isolated patches affected by the construction of proposed road (26°14'55.82"N at coordinate 78°4'6.54"E) and deposit the requisite fund into the CAMPA account. The site improvement plan must include all necessary components like fencing watering facility, soil & moisture conservation work, Plantation in gaps with native species, etc. (if not complied as a condition of wildlife clearance)	In compliance with Condition No. 07 of in-principle approval issued in the matter and as per DFO Gwalior letter No. 5500 dated 22.09.2025, an amount of ₹96,87,497/- has been deposited by this office under the CAMPA head on 01.10.2025. The transaction number is 52025100166806974, and a copy of the statement is enclosed herewith.
8.	All conditions of wildlife clearance shall be strictly complied.	Agreed, an undertaking in this regard is enclosed (please refer point no. A (8) of undertaking.

-2/5-

[Signature]
08/10/25

9	The road side plantation shall be carried out by the State Forest Department as per the scheme submitted and the requisite fund shall be deposited in CAMPA by the Project Proponent.	Agreed, an undertaking in this regard is enclosed (please refer point no. A (9) of undertaking.
10	The User Agency shall submit an undertaking that no muck shall be disposed off in forest land.	Agreed, an undertaking in this regard is enclosed (please refer point no. A (10) of undertaking.
11	The KML files of Diverted and CA areas shall be uploaded on the e.Green watch portal with all requisite details prior to Stage II Approval.	Agreed, an undertaking in this regard is enclosed (please refer point no. A (11) of undertaking.
12	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter-1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No.5-2/2017-FC dated 28.03.2019.	Agreed, an undertaking in this regard is enclosed (please refer point no. A (12) of undertaking.
13	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)	Agreed, compliance of all conditions will be ensured to be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/) as well as submitted to your office in physical form.
14	In case working permission is granted by the State Forest Department, a copy of the same shall be submitted with compliance report of Stage-1 approval.	Agreed, an undertaking in this regard is enclosed (please refer point no. A (14) of undertaking.
B. Conditions which need to be strictly complied on field after handing over the forest land to the user agency by the state forest department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to stage-II approval.		
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	Agreed, an undertaking in this regard is enclosed (please refer point no. B (1) of undertaking.
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 85.66 ha Degraded Forest land at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non-native species should be avoided.	Agreed, an undertaking in this regard is enclosed (please refer point no. B (2) of undertaking.
3	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	Agreed, an undertaking in this regard is enclosed (please refer point no. B (3) of undertaking.
4	The User Agency shall restrict felling of trees, to the enumerated 740 numbers/any minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department or the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department and State Forest Department shall undertake the fellings.	Agreed, an undertaking in this regard is enclosed (please refer point no. B (4) of undertaking.

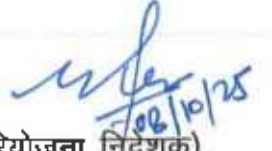
5	Boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project Cost.	Agreed, an undertaking in this regard is enclosed (please refer point no. B (5) of undertaking.
6	User agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms.	Agreed, an undertaking in this regard is enclosed (please refer point no. B (6) of undertaking.
7	Speed regulating signages will be erected all along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas.	Agreed, an undertaking in this regard is enclosed (please refer point no. B (7) of undertaking.
8	Layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	Agreed, an undertaking in this regard is enclosed (please refer point no. B (8) of undertaking.
9	No labour camp shall be established on the forest land.	Agreed, an undertaking in this regard is enclosed (please refer point no. B (9) of undertaking.
10	The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and staff working at the site so as to prevent any damage and pressure on the nearby forests.	Agreed, an undertaking in this regard is enclosed (please refer point no. B (10) of undertaking.
11	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	Agreed, an undertaking in this regard is enclosed (please refer point no. B (11) of undertaking.
12	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the project life.	Agreed, an undertaking in this regard is enclosed (please refer point no. B (12) of undertaking.
13	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	Agreed, an undertaking in this regard is enclosed (please refer point no. B (13) of undertaking.
14	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of all the Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order(s) and National Green Tribunal Order(s) pertaining to this project, if any for the time being in force, as applicable to the project.	Agreed, an undertaking in this regard is enclosed (please refer point no. B (14) of undertaking.
15	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Central Government.	Agreed, an undertaking in this regard is enclosed (please refer point no. B (15) of undertaking.
16	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	Agreed, an undertaking in this regard is enclosed (please refer point no. B (16) of undertaking.

-4/5-

[Signature]
08/10/25

3. अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के अनुसार राशि जमा कर एवं वचन पत्र सहित समस्त शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन ऑन लाईन अपलोड किया जा कर आपके कार्यालय की ओर प्रेषित करते हुए प्रकरण में औपचारिक स्वीकृति/कार्य करने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुरोध के साथ प्रेषित है।

संलग्न: - उपरोक्तानुसार।



(परियोजना निदेशक),

भाराराप्रा, प.क्रि.इ. ग्वालियर(म.प्र.)

प्रतिलिपि: -

- (1) मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (2) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (3) क्षेत्रीय अधिकारी, भा.रा.रा.प्रा. क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (4) मुख्य वनसंरक्षक ग्वालियर वृत्त ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (5) उप वनमण्डलाधिकारी, ग्वालियर एवं अधीक्षक, घाटीगांव हुकना पक्षी अभयारण्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 5/5 -



सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई : डी-81, गोविन्दपुरी, सचिन तेंदुलकर मार्ग, ग्वालियर (प. प्र.)-474011

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Project Implementation Unit : D-81, Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior (M.P.)-474011

फोन/Phone : 0751-2231485, ई-मेल/E-mail : gwalior@nhai.org; nhaigwalior@gmail.com



SHARATHALA
ROAD TO PROSPERITY

(Annexure-I)

National Highways Authority of India, Project Implementation Unit-Gwalior (M.P.)

UNDERTAKING

Diversion of 42.83 ha Reserved Forest land for construction of Bypass on Western Side of Gwalior City in favour of Project Director NHAI, PIU-Gwalior. : - Regarding stipulated Condition no. (A) 8 of 1st Stage Clearance.

On behalf of NHAI, it is hereby undertaken that All conditions of wildlife clearance shall be strictly complied.

[Signature]
20/11/25

(Project Director)

NHAI, PIU-Gwalior (M.P.)



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई : डी-81, गोविन्दपुरी, सचिन तेंदुलकर मार्ग, ग्वालियर (म. प्र.)-474011

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Project Implementation Unit : D-81, Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior (M.P.)-474011

फोन/Phone : 0751-2231485, ई-मेल/E-mail : gwalior@nhai.org; nhaigwalior@gmail.com



BHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

(Annexure-II)

National Highways Authority of India, Project Implementation Unit Gwalior (M.P.)

UNDERTAKING

Diversion of 42.83 ha Reserved Forest land for construction of Bypass on Western Side of Gwalior City in favour of Project Director NHAI, PIU-Gwalior. : - Regarding stipulated Condition no. (A) 10 of 1st Stage Clearance.

On behalf of NHAI, it is hereby undertaken that no muck shall be disposed off in forest land.

(Project Director)
NHAI, PIU-Gwalior (M.P.)



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई : डी-81, गोविन्दपुरी, सचिन तेंदुलकर मार्ग, ग्वालियर (म. प्र.)-474011

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Project Implementation Unit : D-81, Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior (M.P.)-474011

फोन/Phone : 0751-2231485, ई-मेल/E-mail : gwalior@nhai.org; nhaigwalior@gmail.com



BHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

(Annexure-III)

National Highways Authority of India, Project Implementation Unit-Gwalior (M.P.)

UNDERTAKING

Diversion of 42.83 ha Reserved Forest land for construction of Bypass on Western Side of Gwalior City in favour of Project Director NHAI, PIU-Gwalior. : - Regarding stipulated Condition no. (A) 11 of 1st Stage Clearance.

On behalf of NHAI, it is hereby undertaken that KML files of Diverted and CA areas shall be uploaded on the e.Green watch portal with all requisite details prior to Stage-II Approval.

(Project Director)
NHAI, PIU-Gwalior (M.P.)



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई : डी-81, गोविन्दपुरी, सचिन तेंदुलकर मार्ग, ग्वालियर (म. प्र.)-474011

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Project Implementation Unit : D-81, Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior (M.P.)-474011

फोन/Phone : 0751-2231485, ई-मेल/E-mail : gwalior@nhai.org; nhaigwalior@gmail.com



BHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

(Annexure-IV)

National Highways Authority of India, Project Implementation Unit-Gwalior (M.P.)

UNDERTAKING

Diversion of 42.83 ha Reserved Forest land for construction of Bypass on Western Side of Gwalior City in favour of Project Director NHAI, PIU-Gwalior. : - Regarding stipulated Condition no. (A) 12 of 1st Stage Clearance.

On behalf of NHAI, it is hereby undertaken that violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter-1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No.5 2/2017-FC dated 28.03.2019.

[Signature]
01/11/25

(Project Director)
NHAI, PIU-Gwalior (M.P.)



सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई : डी-81, गोविन्दपुरी, सचिन तेंदुलकर मार्ग, ग्वालियर (म. प्र.)-474011

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Project Implementation Unit : D-81, Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior (M.P.)-474011

फोन/Phone : 0751-2231485, ई-मेल/E-mail : gwalior@nhai.org; nhaigwalior@gmail.com



BHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

(Annexure-V)

National Highways Authority of India, Project Implementation Unit Gwalior (M.P.)

UNDERTAKING

Diversion of 42.83 ha Reserved Forest land for construction of Bypass on Western Side of Gwalior City in favour of Project Director NHAI, PIU-Gwalior : - Regarding stipulated Condition no. (A) 13 of 1st Stage Clearance.

On behalf of NHAI, it is hereby undertaken that compliance of all conditions will be ensured to be uploaded on e portal (<https://parivesh.nic.in/>) as well as submitted to your office in physical form.

[Signature]
20/11/25

(Project Director)

NHAI, PIU-Gwalior (M.P.)



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई : डी-81, गोविन्दपुरी, सचिन तेंदुलकर मार्ग, ग्वालियर (म. प्र.)-474011

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Project Implementation Unit : D-81, Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior (M.P.)-474011

फोन/Phone : 0751-2231485, ई-मेल/E-mail : gwalior@nhai.org; nhaigwalior@gmail.com



(Annexure-VI)

National Highways Authority of India, Project Implementation Unit-Gwalior (M.P.)

UNDERTAKING

Diversion of 42.83 ha Reserved Forest land for construction of Bypass on Western Side of Gwalior City in favour of Project Director NHAI, PIU-Gwalior. : - Regarding stipulated Condition no. (A) 14 of 1st Stage Clearance.

On behalf of NHAI, it is hereby undertaken that in case working permission is granted by the State Forest Department, a copy of the same shall be submitted with compliance report of Stage-I approval.

[Signature]
#01/10/24

(Project Director)

NHAI, PIU-Gwalior (M.P.)



सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई : डी-81, गोविन्दपुरी, सचिन तेंदुलकर मार्ग, ग्वालियर (म. प्र.)-474011

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Project Implementation Unit : D-81, Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior (M.P.)-474011

फोन/Phone : 0751-2231485, ई-मेल/E-mail : gwalior@nhai.org; nhaigwalior@gmail.com



BHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

(Annexure-VII)

National Highways Authority of India, Project Implementation Unit-Gwalior (M.P.)

UNDERTAKING

Diversion of 42.83 ha Reserved Forest land for construction of Bypass on Western Side of Gwalior City in favour of Project Director NHAI, PIU Gwalior : - Regarding stipulated Condition no. (B) 01 of 1st Stage Clearance.

On behalf of NHAI, it is hereby undertaken that Legal status of the forest land shall remain unchanged.

[Signature]
7/11/25

(Project Director)
NHAI, PIU-Gwalior (M.P.)



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

परियोजना कार्यान्वयन ईकाई : डी-81, गोविन्दपुरी, सचिन तेंदुलकर मार्ग, ग्वालियर (म. प्र.)-474011

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Project Implementation Unit : D-81, Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior (M.P.)-474011

फोन/Phone : 0751-2231485, ई-मेल/E-mail : gwalior@nhai.org; nhai@gwalior@gmail.com



(Annexure-VIII)

National Highways Authority of India, Project Implementation Unit-Gwalior (M.P.)

UNDERTAKING

Diversion of 42.83 ha Reserved Forest land for construction of Bypass on Western Side of Gwalior City in favour of Project Director NHAI, PIU-Gwalior : - **Regarding stipulated Condition no. (B) 02 of 1st Stage Clearance.**

On behalf of NHAI, it is hereby undertaken that Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 85.66 ha Degraded Forest land at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non-native species should be avoided.

(Project Director)
NHAI, PIU-Gwalior (M.P.)



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

परियोजना कार्यान्वयन ईकाई : सी-81, गोविन्दपुरी, सचिन तेंदुलकर मार्ग, ग्वालियर (म. प्र.)-474011

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Project Implementation Unit : D-81, Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior (M.P.)-474011

फोन/Phone : 0751-2231485, ई-मेल/E-mail : gwalior@nhai.org; nhaigwalior@gmail.com



BHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

(Annexure-IX)

National Highways Authority of India, Project Implementation Unit-Gwalior (M.P.)

UNDERTAKING

Diversion of 42.83 ha Reserved Forest land for construction of Bypass on Western Side of Gwalior City in favour of Project Director NHAI, PIU-Gwalior. : - Regarding stipulated Condition no. (B) 03 of 1st Stage Clearance.

On behalf of NHAI, it is hereby undertaken that Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency.

(Project Director)

NHAI, PIU-Gwalior (M.P.)



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई : डी-81, गोविन्दपुरी, सचिन तेंदुलकर मार्ग, ग्वालियर (म. प्र.)-474011

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Project Implementation Unit : D-81, Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior (M.P.)-474011

फोन/Phone : 0751-2231485, ई-मेल/E-mail : gwalior@nhai.org; nhai@nhai.org; nhai@nhai.org



(Annexure-X)

National Highways Authority of India, Project Implementation Unit-Gwalior (M.P.)

UNDERTAKING

Diversion of 42.83 ha Reserved Forest land for construction of Bypass on Western Side of Gwalior City in favour of Project Director NHAI, PIU-Gwalior. : - Regarding stipulated Condition no. (B) 04 of 1st Stage Clearance.

On behalf of NHAI, it is hereby undertaken that the User Agency shall restrict felling of trees, to the enumerated 740 numbers/any minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department or the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department and State Forest Department shall undertake the felling.

(Project Director)
NHAI, PIU-Gwalior (M.P.)



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

परियोजना कार्यान्वयन ईकाई : डी-81, गोविन्दपुरी, सचिन तेंदुलकर मार्ग, ग्वालियर (म. प्र.)-474011

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Project Implementation Unit : D-81, Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior (M.P.) 474011

फोन/Phone : 0751-2231485, ई-मेल/E-mail : gwalior@nhai.org; nhai@nhai.org; nhai@nhai.org



(Annexure-XT)

National Highways Authority of India, Project Implementation Unit Gwalior (M.P.)

UNDERTAKING

Diversion of 42.83 ha Reserved Forest land for construction of Bypass on Western Side of Gwalior City in favour of Project Director NHAI, PIU Gwalior : - Regarding stipulated Condition no. (B) 05 of 1st Stage Clearance.

On behalf of NHAI, it is hereby undertaken that Boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project Cost.

[Signature]
20/11/25

(Project Director)
NHAI, PIU-Gwalior (M.P.)



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई : डी-81, गोविन्दपुरी, सचिन तेंदुलकर मार्ग, ग्वालियर (म. प्र.)-474011

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Project Implementation Unit : D-81, Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior (M.P.)-474011

फोन/Phone : 0751-2231485, ई-मेल/E-mail : gwalior@nhai.org; nhaigwalior@gmail.com



(Annexure-XII)

National Highways Authority of India, Project Implementation Unit-Gwalior (M.P.)

UNDERTAKING

Diversion of 42.83 ha Reserved Forest land for construction of Bypass on Western Side of Gwalior City in favour of Project Director NHAI, PIU-Gwalior : - Regarding stipulated Condition no. (B) 06 of 1st Stage Clearance.

On behalf of NHAI, it is hereby undertaken that User agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms.

(Project Director)
NHAI, PIU-Gwalior (M.P.)



सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई : डी-81, गोविन्दपुरी, सचिन तेंदुलकर मार्ग, ग्वालियर (म. प्र.)-474011
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
Project Implementation Unit : D-81, Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior (M.P.)-474011
फोन/Phone : 0751-2231485, ई-मेल/E-mail : gwaliar@nhai.org; nhaigwalior@gmail.com



BHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

(Annexure XIII)

National Highways Authority of India, Project Implementation Unit-Gwalior (M.P.)

UNDERTAKING

Diversion of 42.83 ha Reserved Forest land for construction of Bypass on Western Side of Gwalior City in favour of Project Director NHAI, PIU-Gwalior. : - Regarding stipulated Condition no. (B) 07 of 1st Stage Clearance.

On behalf of NHAI, it is hereby undertaken that Speed regulating signages will be erected all along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas.

[Signature]
24/10/14

(Project Director)
NHAI, PIU-Gwalior (M.P.)



सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई : डी-81, गोविन्दपुरी, सचिन तेंदुलकर मार्ग, ग्वालियर (म. प्र.)-474011
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
Project Implementation Unit : D-81, Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior (M.P.)-474011
फोन/Phone : 0751-2231485, ई-मेल/E-mail : gwalior@nhai.org; nhai@nhai.org



SHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

(Annexure-XIV)

National Highways Authority of India, Project Implementation Unit-Gwalior (M.P.)

UNDERTAKING

Diversion of 42.83 ha Reserved Forest land for construction of Bypass on Western Side of Gwalior City in favour of Project Director NHAI, PIU-Gwalior. : - Regarding stipulated Condition no. (B) 08 of 1st Stage Clearance.

On behalf of NHAI, it is hereby undertaken that Layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.

[Signature]
20/10/25

(Project Director)
NHAI, PIU-Gwalior (M.P.)



सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

परियोजना कार्यान्वयन ईकाई : डी-81, गोविन्दपुरी, सचिन तेंदुलकर मार्ग, ग्वालियर (म. प्र.)-474011

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Project Implementation Unit : D-81, Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior (M.P.)-474011

फोन/Phone : 0751-2231485, ई-मेल/E-mail : gwalior@nhai.org; nhaigwalior@gmail.com



BHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

(Annexure-XV)

National Highways Authority of India, Project Implementation Unit Gwalior (M.P.)

UNDERTAKING

Diversion of 42.83 ha Reserved Forest land for construction of Bypass on Western Side of Gwalior City in favour of Project Director NHAI, PIU Gwalior. : - Regarding stipulated Condition no. (B) 09 of 1st Stage Clearance.

On behalf of NHAI, it is hereby undertaken that No labour camp shall be established on the forest land.

[Signature]
20/10/25

(Project Director)
NHAI, PIU-Gwalior (M.P.)



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
 (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
 परियोजना कार्यान्वयन इकाई : डी-81, गोविन्दपुरी, सचिन तेंदुलकर मार्ग, ग्वालियर (म. प्र.)-474011
National Highways Authority of India
 (Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
 Project Implementation Unit : D-81, Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior (M.P.)-474011
 फोन/Phone : 0751-2231485, ई-मेल/E-mail : gwalior@nhai.org, nhaigwalior@gmail.com



(Annexure-XVI)

National Highways Authority of India, Project Implementation Unit-Gwalior (M.P.)

UNDERTAKING

Diversion of 42.83 ha Reserved Forest land for construction of Bypass on Western Side of Gwalior City in favour of Project Director NHAI, PIU-Gwalior. : - **Regarding stipulated Condition no. (B) 10 of 1st Stage Clearance.**

On behalf of NHAI, it is hereby undertaken that the User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and staff working at the site so as to prevent any damage and pressure on the nearby forests.


 (Project Director)
 NHAI, PIU-Gwalior (M.P.)



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
 (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
 परियोजना कार्यान्वयन ईकाई : डी-81, गोविन्दपुरी, सचिन तेंदुलकर मार्ग, ग्वालियर (म. प्र.)-474011
National Highways Authority of India
 (Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
 Project Implementation Unit : D-81, Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior (M.P.)-474011
 फोन/Phone : 0751-2231485, ई-मेल/E-mail : gwalior@nhai.org; nhaigwalior@gmail.com



(Annexure-XVII)

National Highways Authority of India, Project Implementation Unit-Gwalior (M.P.)

UNDERTAKING

Diversion of 42.83 ha Reserved Forest land for construction of Bypass on Western Side of Gwalior City in favour of Project Director NHAI, PIU-Gwalior. : - Regarding stipulated Condition no. (B) 11 of 1st Stage Clearance.

On behalf of NHAI, it is hereby undertaken that no additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.


 (Project Director)
 NHAI, PIU-Gwalior (M.P.)



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

परियोजना कार्यान्वयन ईकाई : डी-81, गोविन्दपुरी, सचिन तेंदुलकर मार्ग, ग्वालियर (म. प्र.)-474011

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Project Implementation Unit : D-81, Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior (M.P.)-474011

फोन/Phone : 0751-2231485, ई-मेल/E-mail : gwalior@nhai.org; nhaigwalior@gmail.com



SHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

(Annexure XVIII)

National Highways Authority of India, Project Implementation Unit-Gwalior (M.P.)

UNDERTAKING

Diversion of 42.83 ha Reserved Forest land for construction of Bypass on Western Side of Gwalior City in favour of Project Director NHAI, PIU-Gwalior. : - Regarding stipulated Condition no. (B) 12 of 1st Stage Clearance.

On behalf of NHAI, it is hereby undertaken that the period of diversion under this approval shall be co-terminous with the project life.

(Project Director)

NHAI, PIU-Gwalior (M.P.)



सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
परियोजना कार्यान्वयन ईकाई : डी-81, गोविन्दपुरी, सचिन तेंदुलकर मार्ग, ग्वालियर (म. प्र.)-474011
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
Project Implementation Unit : D-81, Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior (M.P.)-474011
फोन/Phone : 0751-2231485, ई-मेल/E-mail : gwalior@nhai.org; nhaigwalior@gmail.com



(Annexure-XIX)

National Highways Authority of India, Project Implementation Unit-Gwalior (M.P.)

UNDERTAKING

Diversion of 42.83 ha Reserved Forest land for construction of Bypass on Western Side of Gwalior City in favour of Project Director NHAI, PIU-Gwalior. - Regarding stipulated Condition no. (B) 13 of 1st Stage Clearance.

On behalf of NHAI, it is hereby undertaken that the forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

[Signature]
21/10/25

(Project Director)
NHAI, PIU-Gwalior (M.P.)

For NHAI, Gwalior



सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई : डी-81, गोविन्दपुरी, सचिन तेन्दुलकर मार्ग, ग्वालियर (म. प्र.)-474011
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
Project Implementation Unit : D-81, Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior (M.P.)-474011
फोन/Phone : 0751-2231485, ई-मेल/E-mail : gwalior@nhai.org; nhai@nhai.org



(Annexure-XX)

National Highways Authority of India, Project Implementation Unit-Gwalior (M.P.)

UNDERTAKING

Diversion of 42.83 ha Reserved Forest land for construction of Bypass on Western Side of Gwalior City in favour of Project Director NHAI, PIU-Gwalior. : - Regarding stipulated Condition no. (B) 14 of 1st Stage Clearance.

On behalf of NHAI, it is hereby undertaken that the User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of all the Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order(s) and National Green Tribunal Order(s) pertaining to this project, if any for the time being in force, as applicable to the project.

[Signature]
20/11/25

(Project Director)
NHAI, PIU-Gwalior (M.P.)



सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई : डी-81, गोविन्दपुरी, सचिन तेंदुलकर मार्ग, ग्वालियर (म. प्र.)-474011

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Project Implementation Unit : D-81, Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior (M.P.)-474011

फोन/Phone : 0751-2231485, ई-मेल/E-mail : gwalior@nhai.org; nhaigwalior@gmail.com



BHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

(Annexure-XXI)

National Highways Authority of India, Project Implementation Unit-Gwalior (M.P.)

UNDERTAKING

Diversion of 42.83 ha Reserved Forest Land for construction of Bypass on Western Side of Gwalior City in favour of Project Director NHAI, PIU-Gwalior. : - **Regarding stipulated Condition no. (B) 15 of 1st Stage Clearance.**

On behalf of NHAI, it is hereby undertaken that the forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Central Government.

[Signature]
7.11/25

(Project Director)

NHAI, PIU-Gwalior (M.P.)



सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई : डी-81, गोविन्दपुरी, सचिन तेंदुलकर मार्ग, ग्वालियर (म. प्र.)-474011
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
Project Implementation Unit : D-81, Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior (M.P.)-474011
फोन/Phone : 0751-2231485, ई-मेल/E-mail : gwalior@nhai.org; nhaigwalior@gmail.com



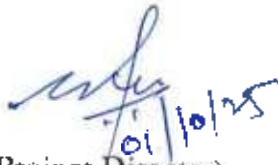
(Annexure-XXII)

National Highways Authority of India, Project Implementation Unit-Gwalior (M.P.)

UNDERTAKING

Diversion of 42.83 ha Reserved Forest land for construction of Bypass on Western Side of Gwalior City in favour of Project Director NHAI, PIU-Gwalior. : - Regarding stipulated Condition no. (B) 16 of 1st Stage Clearance.

On behalf of NHAI, it is hereby undertaken that any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.


(Project Director)
NHAI, PIU-Gwalior (M.P.)

कार्यालय कलेक्टर(जनजातीय कार्य विभाग) ग्वालियर

(शारदा विहार कॉलोनी ग्वालियर) दूरभाष -0751-2330948 Email - actw.gwl@mp.gov.in

क्रमांक/ज.जा.का.वि./वन अधि./2025-26/1889

ग्वालियर दिनांक 17-9-25

प्रति,

परियोजना निदेशक

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार)

डी.81 गोविंदपुरी सचिन तेन्दुलकर मार्ग ग्वालियर

विषय :-

ग्वालियर जिले में वेस्टन वायपास के निर्माण हेतु 2.83 हेक्टेयर वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र (फार्म 01) जारी करने बावत्।

सन्दर्भ :-

आपका पत्र क्र. 15876 दिनांक 25/06/2025।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के अनुक्रम में वनाधिकार अधिनियम 2008 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (फार्म 01) पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है।

सहायक आयुक्त,

जनजातीय कार्य विभाग
जिला ग्वालियर

ग्वालियर दिनांक 17-9-25

क्रमांक/ज.जा.का.वि./वन अधि./2025-26/1890

प्रतिलिपि :-

- 1- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू0प्रबंध) म0प्र भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 2- जिला कलेक्टर जिला ग्वालियर
- 3- वन मण्डल अधिकारी सामान्य वन मण्डल ग्वालियर

H.A.I. PIU-GWALIOR (M.2)

AIRY NO. 43473

DATE- 17/09/2025

M(T)- I / II / DY. M (T) 0

SE - I / II / III / IV 0

PS/PA 0 / STENO 0 / LA 0

सहायक आयुक्त,

जनजातीय कार्य विभाग
जिला ग्वालियर

Forst file

Forst
western by pass

-ORM-1

(For liner Projects)

Government of Madhya Pradesh

Office of the District Collector Gwalior (Madhya Pradesh)No. 1856Date 16.9.25TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoE&F) Government of India letter no. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009, wherein the MoE&F issued guidelines on Submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of Rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoE&F's letter dated 5th February 2013 wherein MoE&F issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 42.8305 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of National Highways Authority of India, PIU Gwalior for Construction of 4-Lane of Western Bypass of Gwalior City in Gwalior district falls within jurisdiction of Jigsoli, Kulaith, Sojna, Parpete Ka Pura, Tighra, Sujwaya, Barai and Raipur villages in District Gwalior.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 42,8305 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub- Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as Annexures A, B & C.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above



(Ruchika Chauhan)
IAS

District Collector
District Gwalior (MP)

STATEMENT OF ACCOUNT

CANARA BANK
DATE : 01-10-25 17:40:44 PM
Account Branch : 17781-CITY CENTER, GWALIOR 474007
IFSC : CNRB0017781
MICR : 474015014
Branch Address : LIC BUILDING CITY CENTRE GWALIOR - 474 007 (MADHYA PRADESH)
Email Id : cb17781@canarabank.com
Contact Number :
Bank Toll Free Number : 18001030
WhatsApp Banking Num : 18001030
Account No : 120026269175
Product Name : CURRENT ACCOUNT- GENERAL
Customer ID : 322259315
Customer Name : NHAI PIU GWALIOR E TAX PAYMENT AC
Address : H NO 109 ADARSH NAGAR NARMADA ROAD
JABALPUR
JABALPUR
JABALPUR
MADHYA PRADESH
IN
482001

Nominee Reference num :
Nominee Name :
Account Title : NHAI PIU GWALIOR E TAX PAYMENT AC
Joint Holder's/Authorised : DIPESH G SHAH
Person's Name :
CKYC Identifier : 80004881675997

Period : 01-10-2025 To 01-10-2025
Name Currency : INDIAN RUPEES
Swift code: CNRBINBBBFD

TRANS DATE	VALUE DATE	BRANCH	REF/CHQ.NO	DESCRIPTION	WITHDRAWS	DEPOSIT	BALANCE
01-OCT-25	01-OCT-25	0		B/F ...	0.00	6,711,794.00	6,711,794.00
01-OCT-25	01-OCT-25	33		NEFT CR- RBISH00044071675- RBIS0PFMS01-CS- NHAI-WORKS UNDER ROAD WING-	0.00	271,078,065.00	277,789,859.00
01-OCT-25	01-OCT-25	17781	000000000000	RTGS DR- CNRBR5202510016680 6974-UBIN0996335- CAMPA MADHYA PRADESH-/FAST/FAST	271,078,065.00	0.00	6,711,794.00

Statement Summary :

Opening Balance	Total Debit Amount	Total Credit Amount	Debit Count	Credit Count	Closing Balance	Unclear Balance	Hold Funds	Sweep-in Balance as on 01-10-25 17:40:44 PM
6,711,794.00	271,078,065.00	271,078,065.00	1	1	6,711,794.00	0.00	0.00	0.00

Clear balance may be derived by reducing the hold balance from the closing balance.

UNLESS THE CONSTITUENT BRINGS TO THE NOTICE OF THE BANK ANY DISCREPANCIES / OMISSION/ ERRORS/ UNAUTHORISED DEBITS IMMEDIATELY, THE ENTRIES IN SUCH PASS SHEET SHALL BE DEEMED AS CORRECT AND SHALL BIND THE CONSTITUENT FOR ALL PURPOSE AND INTENTS .
BEWARE OF PHISHING ATTACKS THROUGH EMAILS AND FAKE WEBSITES.

IMB FACILITY USERS ARE REQUESTED TO NOTE THAT CANARA BANK DOES NOT SEEK ANY INFORMATION THROUGH EMAIL. DO NOT

215602

418

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्य प्रदेश

भू-तल, सी-ब्लॉक, वन भवन, लिंक रोड नं. -2, तुलसी नगर, भोपाल-462003
दूरभाष : 0755-2674248, 2524275, फैक्स : 0755-2766315 फैक्स : 0755-2766315
E-mail : pcwfwa@mp.gov.in

31.4.24

N.H.A.I. PIU-GWALIOR (M.P.)	
DAIRY NO. 32872	DATE- 19/02/2024
M (T)- 10	DX. M (T) 0
S.E. - 10	IN (T) 0
PS (PA) / STENO / Act. (T) 0	IN (T) 0

त.अ.-1/म.प्र.रा.व.प्रा.बो./12-1/22.11/1187

भोपाल, दिनांक 19.02.2024

शुद्धि पत्र

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन ईकाई ग्वालियर मप्र

ग्वालियर जिले के अंतर्गत वेस्टर्न बायपास मार्ग निर्माण में घाटीगांव हुकना (सोनचिड़िया) पक्षी अभयारण्य की प्रभावित होने वाली 38.025 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि एवं ईको सेंसेटिव जोन की 0.900 हेक्टेयर गैर वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ग्वालियर को उपयोग पर देने हेतु वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अनुमति। (FP/MP/ROAD/120435/2021)

संदर्भ :-

इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/व.त.अ.-1/म.प्र.रा.व.प्रा.बो./12-1/22.11/1207 दिनांक 09.02.2024

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से ग्वालियर जिले के अंतर्गत वेस्टर्न बायपास मार्ग गिनांग में घाटीगांव हुकना (सोनचिड़िया) पक्षी अभयारण्य की प्रभावित होने वाली 38.025 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि एवं ईको सेंसेटिव जोन की 0.900 हेक्टेयर गैर वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ग्वालियर का उपयोग पर देने हेतु राशत वन्यप्राणी अनुमति जारी की गई थी। उक्त अनुमति के निम्न बिन्दुओं में आंशिक संशोधन किया जाता है -

- संदर्भित पत्र दिनांक 09.02.2024 से प्रदाय की गई सैद्धांतिक अनुमति के बिन्दु क्रमांक-4 की चौथी पंक्ति में एवं बिन्दु क्रमांक-7 के पाचवी पंक्ति में लिपिकीय त्रुटिवश उल्लेखित "आरक्षित वनभूमि 18.315 हेक्टेयर" को विलोपित कर इसके स्थान पर "आरक्षित वनभूमि 38.025 हेक्टेयर" पढ़ा जावे। प्रकरण में प्रदाय की गई अनुमति के बिन्दु क्रमांक-3 में उक्त परियोजना लागत रूपय 14713.00 लाख दर्शायी गई थी, जो वर्ष 2021 की स्थिति में आंकलित की गई है। वर्ष 2024 की स्थिति में उक्त परियोजना की लागत प्रस्तुत की जावे। वर्तमान परियोजना लागत की 2 प्रतिशत की राशि अनुमति के बिन्दु क्रमांक 7.2 के अनुसार जमा कराया जावे। प्रकरण में प्रदाय की गई उक्त वन्यप्राणी अनुमति के बिन्दु क्रमांक 7.3 में वनमण्डलाधिकारी ग्वालियर द्वारा पत्र क्रमांक/मा.धि./24/562 दिनांक 31.01.2024 से मिडिलेनोशन मेजर्स हेतु प्रेषित व्यव के अनुसार राशि रूपये 16,20,50,580/- प्रावधान किये जाने का उल्लेख है। प्रस्तुत पत्र एवं सहपत्र के अनुसार उपरोक्त राशि कंपल चैनलिक फॉरिंग हेतु प्रस्तावित है। अभयारण्य क्षेत्र में भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा सुझावे अनुसार मिडिलेनोशन मेजर्स हेतु 05 वर्षों हेतु कुल राशि रूपये 47,71,59,000/- का प्रावधान किया गया है। तदनुसार बिन्दु क्रमांक 7.3 में संशोधन करते हुए

4/10/24

19/02

MR Steno (418)

16

प्रभारी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी),
मध्यप्रदेश, गोंडाल

पृ. ३
प्रति

- 1

W

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्य प्रदेश

प्रगति भवन, भोपाल विकास प्रधिकरण, तृतीय तल, एम.पी.नगर, भोपाल

दूरभाष : 0755-2674248, 2524275, फैक्स : 0755-2766315 फैक्स : 0755-2766315

-mail : psc@wfa.mn.gov

क्रमांक/व.ता.अ.-1/ग.प्र.सा.व.प्रो.यो./12-1/22.11/१२०७
प्रति

परिभाषा निदेशक

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

परिशोध्य क्रियान्वयन ईकार्ग मालिहर ग प्र

विषय :- ग्वालियर जिले के अंतर्गत बेस्टर्न बायपास मार्ग निर्माण में घाटीगांव हुकना (सोनचिड़िया) पक्षी अभयारण्य की प्रभावित होने वाली 38.025 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि एवं ईको सेंसेटिव जोन की 0.900 हेक्टेयर गैर वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ग्वालियर को उपयोग पर देने हेतु वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अनुमति। (FP/MP/ROAD/120435/2021)

मुख्य वन संरक्षक, ग्वालियर वृत्त ग्वालियर का पत्र क्रमांक/22/1214 दिनांक 18.03.2022 एवं वनमण्डल अधिकारी, सामान्य वनमण्डल ग्वालियर का पत्र क्रमांक/ना.वि./24/562 दिनांक 31.01.2024 एवं आपका पत्र क्रमांक/20019/01/2018-Western Bypass/12603 दिनांक 30.01.2024

-0-

परिवोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ग्वालियर द्वारा ग्वालियर जिले के अंतर्गत वेस्टर्न बयपास मार्ग निर्माण से संबंधित हुएका (विमकेडिया) पक्षी अभयारण्य की प्रभावित क्षेत्र वाली 38.025 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि एवं इसका ससंविद्ध ज्ञान की 0.900 हेक्टेयर गैर वन भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ग्वालियर को उपयोग पर देने हेतु वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत वन्यप्राणी अनुमति हेतु प्रेषित प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक, ग्वालियर वृत्त एवं वनमण्डलाधिकारी, सतत-वन वनमण्डल ग्वालियर की अनुमति सहित इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था।

प्रस्ताव अनुसार ग्वालियर जिले में छाटीगांव तुकना (सोनविलियस) पक्षी अभयारण्य के अंतर्गत वेस्टर्न वायफास मार्ग कि.मी. 16.500 से कि.मी. 24.800 तक कुल 8.3 कि.मी. लम्बाई में विभाजन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें अभयारण्य की 38.025 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हो रही है तथा ईको-सेंसेटिव जोन में 200 गीटर (100-100 मीटर लम्बाई में अभयारण्य के दोनों छोर पर) रकबा 0.900 हेक्टेयर राजस्व भूमि का उपयोग किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

2. प्रस्तावित क्षेत्र का कक्षावार, लम्बाई, चौड़ाई एवं क्षेत्रफल का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	वेस्टर्न बायपास मार्ग निर्माण हेतु क्षेत्र का विवरण	कक्ष क्रमांक	लम्बाई (मी. में)	चौड़ाई (मी. में)	रकबा (हेक्टेयर में)
1	32914 14/02/2024 01/01/01/DY. M (T) 0 0/00/00/00/IV 0 0/STENO 0/Actt. 0/LA 0	RF 335	3390	45	15.256
		MGB Raipur	2420	45	10.890
			300	50	1.500
		RF 341	1740	45	7.830
			150	50	0.750
			300	60	1.800
		योग	8300	—	38.025
2	इका सरोटिव जोन में (100+100)		200	45	0.900

3. उक्त प्रस्तावित योजना में कुल 690 वृक्ष एभणित होना दर्शाया गया है। उक्त परियोजना की लागत रुपये 14713.00 लाख दर्शायी गयी है।

मुख्य वन संरक्षक, ग्वालियर वृत्त एवं वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल ग्वालियर द्वारा वन एवं वन्यप्राणियों को नुकसान न पहुंचाये जाने तथा पैसेज प्लान में सुझाये गये मिटिगेशन नेजर्स/शर्तों के अधीन मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, म.प्र. द्वारा अनुशंसा की गई थी, जो निम्नानुसार है:-

3.1. पैसेज प्लान अनुसार प्रस्तावित 18 नम साइन बोर्ड लगाय जावे।

3.2. पैसेज प्लान अनुसार निम्नानुसार अंडरपास/वाक्स कवर्ट/युटिलिटी डक्ट बनाये जायेंगे।

क्र.	अधोसंरचना का नाम	संख्या	साइज (मीटर में)	ऊंचाई/ व्यास (मीटर में)
	Vehicle Underpass	03	1x20x5.5	5.5 - h
	Lower Vehicle Underpass	01	1x12x4	4 - h
	Animal Underpass	14	1x15x4	4 - h
	Box MNB	01	1x15x2.97	2.97 - h
	Box Culvert (08 No.)	01	1x4	4.34 - b
		01	1x5	4.59 - b
		01	1x2	4.74 - h
		01	1x2	6.31 - h
		01	1x2	6.57 - h
		01	1x2	3.25 - h
		01	1x2	4.31 - b
		01	1x5	6.19 - b
	Utility Duct	15	1x3.6 Dia	0.6 - Dia

3.3. ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु वन्यप्राणी लाइ में मार्ग के दोनों तरफ ध्वनि प्रदूषण दीवार एवं चैनलिक फेंसिंग की जावेगी।

3.4. अभयारण्य क्षेत्र एवं ईको सेंसेटिव जोन के अंतर्गत निर्माण किये जाने वाले मार्ग की लागत की 2 प्रतिशत की राशि अभयारण्य के विकास हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार आवेदक संस्था द्वारा मध्यप्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसायटी के खाते में जमा करायी जावेगी।

3.5. अभयारण्य क्षेत्र के अंदर एवं इसकी सीमा से 250 मीटर में श्रमिक कैम्प नहीं लगाया जावेगा।

3.6. मार्ग निर्माण में उपयोग की जाने वाली संमस्त निर्माण सामग्री अभयारण्य के बाहर से लायी जावेगी। अभयारण्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार का उत्खनन प्रतिबंधित रहेगा।

3.7. राष्ट्रीय के पश्चात एवं सुर्खौंदय के पूर्ण कार्य नहीं किया जायेगा।

4. उक्त प्रस्ताव इस कार्यालय की अनुशंसा सहित मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की 22वी बैठक दिनांक 20.04.2022 में विचारार्थ रखा गया था जिसमें बोर्ड निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

The proposal was discussed in the 72nd meeting SC-NBWL.

Chief Wild Warden, Madhya Pradesh agreed with the recommendations of WI.

Decision Taken: After discussions, the Standing Committee recommended the proposal with the following conditions:

- 5.1. Suggestions given by the WI in its report with regard to the animal passage and mitigation plan will be incorporated in the proposal.
 - 5.2. The compensation/offset plan given by WI will to be incorporated in the proposal.
 - 5.3. Annual compliance certificate on the stipulated conditions will be submitted by the project proponent to the State Chief Wild Life Warden and an annual compliance certificate shall be submitted by the State Chief Wild Life Warden to the Government of India.
6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.10.2015 को यह आदेश पारित किया गया है :-

"In all case matters where there is already decision of the Standing Committee of the NBWL, the parties shall abide with all the conditions imposed therein."

7. अतः उक्त प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05.10.2015, राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की 72वीं बैठक दिनांक 25.04.2023 में लिये गये निर्णय एवं मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की 22वीं बैठक दिनांक 20.04.2022 में की गई अनुशंसा के अनुसार खालियर जिले के अंतर्गत वरतन गायपास एवं निर्माण में घाटीगढ़ दुकना (तानविडिया) पक्षी अभयारण्य की प्रभावित होने वाली आरक्षित वनभूमि 18.315 हेक्टेयर एवं ईको सेंसिटिव जोन में 0.9 हेक्टेयर राजस्व भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खालियर को उपयोग संबंधी प्रस्ताव की शर्त सैद्धांतिक वन्यप्राणी अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- 7.1 राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की स्टैंडिंग कमिटी की 72वीं बैठक दिनांक 25.04.2023 में एजेण्डा क्रमांक 7.2.16 पर लिए गये निर्णय एवं मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड के निर्णय अनुसार प्रकरण में अधिरोपित शर्तों का पालन किया जावे।
- 7.2 प्रकरण में आवेदक संस्था द्वारा राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की 64वीं बैठक दिनांक 07.08.2021 में एजेण्डा क्रमांक 64.2.1 में लिये गये निर्णय अनुसार संरक्षित क्षेत्र सोनविडिया अभयारण्य घाटीगढ़ एवं इसके ईको सेंसिटिव जोन में मार्ग निर्माण की प्रोजेक्ट कार्ट की 2 प्रतिशत की राशि मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की 16वीं बैठक दिनांक 05.12.2017 को एजेण्डा क्रमांक 16.4 में लिये गये निर्णय अनुसार म.प्र. टाइगर फाउंडेशन सोसायटी के भारतीय रेट बैंक, मुख्य शाखा टी.टी. नगर, गोपाल के खाते क्रमांक 10571048460 आई.एफ.एस.सी. कोड SBIN0001308 में जमा करायी जाए।
- 7.3 राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की 72वीं बैठक दिनांक 25.04.2023 में लिये गये निर्णयों के पालन में भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून द्वारा पत्र क्रमांक WI/AF&CB/BH/GIB-SC/IB/2023/01 दिनांक 24.08.2023 से प्रेषित प्रतिवेदन में द्वारा सुझाये गये अनुमोदित मिटिगेशन मेजर्स को सम्मिलित करते हुए वनमण्डलाधिकारों, सामान्य वनमण्डल खालियर द्वारा संदर्भित पत्र दिनांक 31.01.2024 से मिटिगेशन मेजर्स हेतु प्रेषित व्यय के अनुसार राशि रुपये 10,20,50,580/- का प्रावधान किया गया है। उक्त प्रस्तावित योजना एवं पैकेज प्लान के अनुसार आवेदक विभाग से राशि वि-यु क्रमांक-7.2 में वर्णित अनुसार म.प्र. टाइगर फाउंडेशन सोसायटी जमा कराकर कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित किया जावे, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
- 7.4 प्रस्तावित क्षेत्र में मार्ग निर्माण के दौरान 800 एर्सों के अतिरिक्त अन्य वृक्ष न काटे जावे।

3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित। प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत कार्यवाही करने का कष्ट करें।
 4. मुख्य वन संरक्षक, ग्वालियर वृत्त ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।
 5. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 6. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- उक्त प्रकरण में अधिरोपित समस्त शर्तों के कियान्वयन हेतु आपको प्राधिकृत किया जाता है। प्रकरण में पारियोजना लागत की 2 प्रतिशत की राशि भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा सुझाये गये मिटिगेशन नेजर्स हेतु अतिरिक्त राशि एवं नियमानुसार एन.पी.डी. की राशि आवेदक विभाग/संस्था से जमा कराकर समस्त अधिरोपित शर्तों का पालन संबंधी वचन पत्र प्राप्त कर, की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। प्रकरण में अंतिम स्वीकृति के पूर्व कार्य प्रारंभ न करने दिया जावे।

62
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी), म.प्र.



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

परियोजना कार्यान्वयन ईकाई : डी-81, गोविन्दपुरी, सचिन तेंदुलकर मार्ग, ग्वालियर (म. प्र.)-474011

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Project Implementation Unit : D-81, Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior (M.P.)-474011

फोन/Phone : 0751-2231485, ई-मेल/E-mail : gwalior@nhai.org; nhaigwalior@gmail.com



BHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

भा.रा.रा.प्रा./प.का.ई.-ग्वालियर/वेस्टर्न बायपास/वन्यप्राणी/2025/16148

दिनांक 04.08.2025

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

विषय:- ग्वालियर जिले के अंतर्गत वेस्टर्न बायपास मार्ग निर्माण में घाटीगांव हुकना (सोनचिड़िया) पक्षी अभयारण्य की प्रभावित होने वाली 38.025 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि एवं ईको सेंसेटिव जोन की 0.900 हेक्टेयर गैर वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ग्वालियर को उपयोग पर देने हेतु वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अनुमति बावत। (FP/MP/ROAD/120435/2021).

संदर्भ:- (1) आपका कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./25/3438 दिनांक 06.06.2025.

(2) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 15648 दिनांक 20.05.2025.

(3) आपका कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./24/1043 ग्वालियर दिनांक 21.02.2024.

(4) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक/व.त.अ.-1/म.प्र.रा.व.प्रा.बो./12-1/22.11/1207 दिनांक 09.02.2024 एवं 1487 दिनांक 19.02.2024.

महोदय,

विषयांतर्गत प्रकरण में कृपया अपने कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1043 दिनांक 21.02.2024 का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र. भोपाल का पत्र दिनांक 09.02.2024 एवं 19.02.2024 से उपरोक्त प्रकरण में जारी सशर्त सैद्धांतिक वन्यप्राणी स्वीकृति इस कार्यालय को प्रेषित की गई। साथ ही उक्त स्वीकृति/अनुमति के बिन्दु क्रमांक-7.2 के अनुसार परियोजना लागत की 02 प्रतिशत राशि एवं अनुमति में उल्लेखित अन्य राशियों का मांग पत्र जारी करने हेतु वर्ष 2024 की स्थिति में परियोजना लागत प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया। तदनुसार, इस कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 15648 दिनांक 20.05.2025 के माध्यम से संरक्षित क्षेत्र सोनचिड़िया अभयारण्य घाटीगांव एवं इसके ईको-सेंसेटिव जोन में मार्ग निर्माण की वर्तमान प्रोजेक्ट लागत के अनुसार 02 प्रतिशत राशि एवं अनुमोदित मिटीगेशन हेतु व्यय राशि के बारे में आपको अवगत कराया गया।

2. उपरोक्त के क्रम में आपके द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3438 दिनांक 06.06.2025 के माध्यम से वांछित राशि जमा करने हेतु विवरण इस कार्यालय को प्रदाय करते हुए उक्त राशि मध्यप्रदेश टाइगर फाउण्डेशन सोसायटी के खाते में जमा कर, विषयांतर्गत प्रकरण में जारी सैद्धांतिक वन्यप्राणी स्वीकृति अंतर्गत समस्त शर्तों का बिन्दुवार एकजाई पालन प्रतिवेदन वचन पत्र सहित एवं जमा राशि के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु लेख किया गया।

3. तदनुसार, प्रकरण में जारी सशर्त सैद्धांतिक वन्यप्राणी स्वीकृति में निहित शर्तों की अनुपालना निम्नानुसार है-

क्र०	अधिरोपित शर्त	पालन-प्रतिवेदन
1	शर्त क्रमांक 7.1 के पालन में राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की स्टैंडिंग कमेटी की 72 वीं बैठक दिनांक 25.04.2023 में एजेण्डा क्रमांक 72.2.16 पर लिए गये निर्णय एवं मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड के निर्णय अनुसार प्रकरण में अधिरोपित शर्तों का पालन किया जावे।	तदाशय का वचन-पत्र संलग्न है। (संलग्नक-1)

2	शर्त क्रमांक 7.2 के पालन में प्रकरण में आवेदक संस्था द्वारा राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की 64 वीं बैठक दिनांक 07.08.2021 में एजेण्डा क्रमांक 64.2.1 में लिये गये निर्णय अनुसार संरक्षित क्षेत्र सोनचिड़िया अभयारण्य घाटीगांव एवं इसके ईको-सेंसेटिव जोन में मार्ग निर्माण की प्रोजेक्ट कॉस्ट की 2 प्रतिशत की राशि मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की 16वीं बैठक दिनांक 05.12.2017 को एजेण्डा क्रमांक 16.4 में लिये गये निर्णय अनुसार म.प्र. टाइगर फाउंडेशन सोसायटी के भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा टी.टी. नगर, भोपाल के बचत खाता क्रमांक 10571048460 आई.एफ.एस.सी. कोड SBIN0001308 में जमा करायी जावे। उपरोक्त के कम में आपके कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3438 दिनांक 06.06.2025 के माध्यम से प्रोजेक्ट कॉस्ट की 2 प्रतिशत की राशि 4,96,26,000/- म.प्र. टाइगर फाउंडेशन सोसायटी के खाते में जमा कराने हेतु लेख किया गया है।	इस कार्यालय द्वारा प्रकरण में जारी शर्त सैद्धांतिक वन्यप्राणी स्वीकृति की शर्त क्रमांक 7.2 एवं आपके कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3438 दिनांक 06.06.2025 के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्र सोनचिड़िया अभयारण्य घाटीगांव एवं इसके ईको-सेंसेटिव जोन में मार्ग निर्माण की प्रोजेक्ट कॉस्ट की 2 प्रतिशत की राशि रुपये 4,96,26,000/- म.प्र. टाइगर फाउंडेशन सोसायटी के वांछित खाते में दिनांक 18.07.2025 को जमा करा दी गई है, जिसकी RTGS संख्या RTGS Dr- CNRBR52025071861409539 है, स्टेटमेंट की प्रति संलग्न है।
3	शर्त क्रमांक 7.3 के पालन में राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की 72वीं बैठक दिनांक 25.04 2023 में लिये गये निर्णयों के पालन ने भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून द्वारा पत्र क्रमांक WII/AE&CB/BH/GIB&SCHB/2023/01 दिनांक 24.08.2023 से प्रेषित प्रतिवेदन में सुझाये गये अनुमोदित मिटिगेशन मेजर्स को सम्मिलित करते हुए वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल ग्वालियर द्वारा संदर्भित पत्र दिनांक 31.01.2024 से मिटिगेशन मेजर्स हेतु प्रेषित व्यय के अनुसार राशि रुपये 16,20,50,580/- का प्रावधान किया गया। उपरोक्त के कम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्य प्रदेश, भोपाल के पत्र दिनांक 1487 दिनांक 19.02.2024 एवं आपके कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3438 दिनांक 06.06.2025 के माध्यम से उपरोक्त वर्णित राशि में संसोधन करते हुए, अभयारण्य क्षेत्र में भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा सुझाये अनुसार मिटिगेशन मेजर्स हेतु 05 वर्षों हेतु कुल राशि रुपये 47,71,59,000/- म.प्र टाइगर फाउंडेशन सोसायटी के खाते में जमा करने हेतु लेख किया गया है।	इस कार्यालय द्वारा प्रकरण में जारी शर्त सैद्धांतिक वन्यप्राणी स्वीकृति की शर्त क्रमांक 7.3 एवं आपके कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3438 दिनांक 06.06.2025 के अनुपालन में अभयारण्य क्षेत्र में भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा सुझाये अनुसार मिटिगेशन मेजर्स हेतु 05 वर्षों हेतु कुल राशि रुपये 47,71,59,000/- म.प्र. टाइगर फाउंडेशन सोसायटी के वांछित खाते में दिनांक 18.07.2025 को जमा करा दी गई है, जिसकी RTGS संख्या RTGS Dr- CNRBR52025071861409922 है, स्टेटमेंट की प्रति संलग्न है।
4	शर्त क्रमांक 7.4 के पालन में प्रस्तावित क्षेत्र में मार्ग निर्माण के दौरान 600 वृक्षों के अतिरिक्त अन्य वृक्ष न काटा जावे।	तदाशय का वचन-पत्र संलग्न है। (संलग्नक- I।)
5	शर्त क्रमांक 7.5 के पालन में आवेदक संस्था द्वारा कार्य प्रारंभ करने से पूर्व नियमानुसार एन.पी.व्ही. की राशि कैम्पा मद में जमा करायी जावेगी।	तदाशय का वचन-पत्र संलग्न है। (संलग्नक- II।)

-2/4-


04/08/25

6	शर्त क्रमांक 7.6 के पालन में मार्ग निर्माण कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य ही किया जायेगा।	तदाशय का वचन-पत्र संलग्न है। (संलग्नक-IV)
7	शर्त क्रमांक 7.7 के पालन में मार्ग निर्माण कार्य के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि निर्माण कार्य के दौरान वनों एवं वन्यप्राणियों को किसी भी प्रकार की क्षति/व्यवधान न हों।	तदाशय का वचन-पत्र संलग्न है। (संलग्नक-V)
8	शर्त क्रमांक 7.8 के पालन में अभयारण्य वन क्षेत्रों के भीतर पत्थर तोड़ने/वनभूमि में किसी भी प्रकार का उत्खनन/आग जलाना/नदी-नालों से अवैध रेत उत्खनन तथा वन संपदा को नुकसान पहुँचाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। यह सुनिश्चित करने का दायित्व उपयोगकर्ता विभाग का होगा। अवैध उत्खनन पाये जाने पर संबंधित आवेदक/एजेन्सी एवं उपयोगकर्ता विभाग के संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी।	तदाशय का वचन-पत्र संलग्न है। (संलग्नक-VI)
9	शर्त क्रमांक 7.9 के पालन में अभयारण्य क्षेत्र में या उसकी सीमा के 250 मीटर में किसी भी प्रकार का श्रमिक कैम्प नहीं लगाया जावे।	तदाशय का वचन-पत्र संलग्न है। (संलग्नक-VII)
10	शर्त क्रमांक 7.10 के पालन में अभयारण्य क्षेत्र में मार्ग निर्माण के दौरान वनमण्डलाधिकारी/संबंधित वनाधिकारी की निगरानी/देखरेख में कार्य संपादित किया जावेगा।	तदाशय का वचन-पत्र संलग्न है। (संलग्नक-VIII)
11	शर्त क्रमांक 7.11 के पालन में निर्माण एजेन्सी या उसके कॉन्ट्रैक्टर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 एवं वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।	तदाशय का वचन-पत्र संलग्न है। (संलग्नक-IX)
12	शर्त क्रमांक 7.12 के पालन में प्रकरण में यदि प्रस्तावित मार्ग निर्माण में भूमि का व्यपवर्तन हो रहा हो तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत इसकी पृथक से अनुमति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) वन भवन, भोपाल से प्राप्त की जावे।	तदाशय का वचन-पत्र संलग्न है। (संलग्नक-X)
13	शर्त क्रमांक 7.13 के पालन में उक्त शर्तों/निर्देशों की अवहेलना अथवा पालन न होने पर यह अनापत्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।	तदाशय का वचन-पत्र संलग्न है। (संलग्नक-XI)
14	शर्त क्रमांक 7.14 के पालन में आवेदक विभाग/संस्था को राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड एवं मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड द्वारा अधिरोपित शर्तों का अक्षरशः पालन कराया जाना सुनिश्चित करना होगा।	तदाशय का वचन-पत्र संलग्न है। (संलग्नक-XII)

4. अतः विषयांतर्गत प्रकरण में जारी सशर्त सैद्धांतिक वन्यप्राणी स्वीकृति में निहित शर्तों एवं उपरोक्त संदर्भित पत्रों के अनुपालन में प्रत्येक शर्त का पालन प्रतिवेदन मय वचन पत्रों/बैंक विवरण सहित प्रस्तुत कर प्रकरण में Working permission/ Final Wildlife Permission (अंतिम वन्यजीव अनुमति) जारी करने के संबंध में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदन है।

संलग्न: - उपरोक्तानुसार।


18/08/2025

(परियोजना निदेशक),

भाराराप्रा, प.क्रि.इ. ग्वालियर(म.प्र.)

प्रतिलिपि: -

- (1) मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) वन भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (2) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) वन भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (3) क्षेत्रीय अधिकारी, भा.रा.रा.प्रा. क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (4) मुख्य वनसंरक्षक ग्वालियर वृत्त ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (5) अधीक्षक सोन चिड़िया अभयारण्य घाटीगांव एवं उप वनमण्डलाधिकारी ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (6) गेम रेंज ऑफीसर, गेम रेंज तिघरा एवं वन परिक्षेत्राधिकारी ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

-4/4-

TRANS DATE	VALUE DATE	BRANCH	REF/CHQ.NO	DESCRIPTION	WITHDRAWS	DEPOSIT	BALANCE
				RBI1992592877029-RBIS0PFMS01-CS-NHAI-FARO, BHOPAL-NATIONAL HIGHWA-			
17-JUL-25	17-JUL-25	33		NEFT CR-RBI1992592878572-RBIS0PFMS01-CS-NHAI-FARO, BHOPAL-NATIONAL HIGHWA-	0.00	983.00	530,827,998.00
17-JUL-25	17-JUL-25	33		NEFT CR-RBI1992592876901-RBIS0PFMS01-CS-NHAI-FARO, BHOPAL-NATIONAL HIGHWA-	0.00	27,450.00	530,855,448.00
17-JUL-25	17-JUL-25	33		NEFT CR-RBI1992592878733-RBIS0PFMS01-CS-NHAI-FARO, BHOPAL-NATIONAL HIGHWA-	0.00	25,032.00	530,880,480.00
18-JUL-25	18-JUL-25	380	000000000000	RTGS DR-CNRBR5202507186140 9922-SBIN0001308-MADHYA PRADESH TIGER FOUNDATION-FAST/FAST	477,159,000.00	0.00	53,721,480.00
18-JUL-25	18-JUL-25	380	000000000000	RTGS DR-CNRBR5202507186140 9539-SBIN0001308-MADHYA PRADESH TIGER FOUNDATION SOC-FAST/FAST	49,626,000.00	0.00	4,095,480.00
18-JUL-25	18-JUL-25	33		NEFT CR-RBI2002597273632-RBIS0PFMS01-CS-NHAI-FARO, BHOPAL-NATIONAL HIGHWA-	0.00	185.00	4,095,665.00
21-JUL-25	21-JUL-25	380	000000000000	NEFT DR-CNRBH00062759644-ICIC0000106-UPPCL-	80,669.00	0.00	4,014,996.00
21-JUL-25	21-JUL-25	380	000000000000	NEFT DR-CNRBH00062759859-YESB0CMSNOC-JVVNL-	194,747.00	0.00	3,820,249.00
28-JUL-25	28-JUL-25	33		NEFT CR-RBI2102503105152-RBIS0PFMS01-CS-NHAI-FARO, BHOPAL-NATIONAL HIGHWA-	0.00	6,786.00	3,827,035.00
29-JUL-25	29-JUL-25	33		NEFT CR-RBI2102503420199-RBIS0PFMS01-CS-NHAI-FARO, BHOPAL-NATIONAL HIGHWA-	0.00	310,979.00	4,138,014.00
30-JUL-25	30-JUL-25	33		NEFT CR-RBI2122505023529-RBIS0PFMS01-CS-NHAI-FARO, BHOPAL-NATIONAL HIGHWA-	0.00	85,948.00	4,223,962.00

Statement Summary :

Opening Balance	Total Debit Amount	Total Credit Amount	Debit Count	Credit Count	Closing Balance	Unclear Balance	Hold Funds	Sweep-in Balance as on 01-08-25 11:09:41 AM
144,270,247.00	670,559,935.00	530,513,650.00	11	20	4,223,962.00	0.00	0.00	0.00

Clear balance may be derived by reducing the hold balance from the closing balance.

UNLESS THE CONSTITUENT BRINGS TO THE NOTICE OF THE BANK ANY DISCREPANCIES / OMISSION/ ERRORS/ UNAUTHORISED

TRANS DATE	VALUE DATE	BRANCH	REF/CHQ.NO	DESCRIPTION	WITHDRAWS	DEPOSIT	BALANCE
				ONLINE TRANSACTION BDP-TIN-352505072500075651-3110201012954			
05-JUL-25	05-JUL-25	380		IB ITG 2820100 ONLINE TRANSACTION BDP-TIN-352505072500075687-3110201012954	87,000.00	0.00	2,625,074.00
05-JUL-25	05-JUL-25	108		GSTN1080507258550-209272804	1,378,220.00	0.00	1,246,854.00
05-JUL-25	05-JUL-25	380		IB ITG 2935500 ONLINE TRANSACTION BDP-TIN-352505072500075982-3110201012954	87,000.00	0.00	1,159,854.00
05-JUL-25	05-JUL-25	33		NEFT CR-RBI1872572209907-RBIS0PFMS01-CS-NHAI-FARO, BHOPAL-NATIONAL HIGHWA-	0.00	70,755.00	1,230,609.00
05-JUL-25	05-JUL-25	33		NEFT CR-RBI1872572206268-RBIS0PFMS01-CS-NHAI-FARO, BHOPAL-NATIONAL HIGHWA-	0.00	108,530.00	1,339,139.00
05-JUL-25	05-JUL-25	33		NEFT CR-RBI1872572207482-RBIS0PFMS01-CS-NHAI-FARO, BHOPAL-NATIONAL HIGHWA-	0.00	72,844.00	1,411,983.00
05-JUL-25	05-JUL-25	33		NEFT CR-RBI1872572207556-RBIS0PFMS01-CS-NHAI-FARO, BHOPAL-NATIONAL HIGHWA-	0.00	948,440.00	2,360,423.00
05-JUL-25	05-JUL-25	33		NEFT CR-RBI1872572207538-RBIS0PFMS01-CS-NHAI-FARO, BHOPAL-NATIONAL HIGHWA-	0.00	105,304.00	2,465,727.00
07-JUL-25	07-JUL-25	33		NEFT CR-RBI1892573558185-RBIS0PFMS01-CS-NHAI-FARO, BHOPAL-NATIONAL HIGHWA-	0.00	1,526,454.00	3,992,181.00
10-JUL-25	10-JUL-25	33		NEFT CR-RBI1922577046129-RBIS0PFMS01-CS-NHAI-FARO, BHOPAL-NATIONAL HIGHWA-	0.00	12,600.00	4,004,781.00
10-JUL-25	10-JUL-25	33		NEFT CR-RBI1922577046197-RBIS0PFMS01-CS-NHAI-FARO, BHOPAL-NATIONAL HIGHWA-	0.00	24,684.00	4,029,465.00
14-JUL-25	14-JUL-25	33		NEFT CR-RBI1962581131064-RBIS0PFMS01-CS-NHAI-ZONE II-NATIONAL HIGHWAY AUT-	0.00	526,785,000.00	530,814,465.00
17-JUL-25	17-JUL-25	33		NEFT CR-RBI1992592878812-RBIS0PFMS01-CS-NHAI-FARO, BHOPAL-NATIONAL HIGHWA-	0.00	800.00	530,815,265.00
17-JUL-25	17-JUL-25	33		NEFT CR-	0.00	11,750.00	530,827,015.00



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई : डी-81, गोविन्दपुरी, सचिन तेन्दुलकर मार्ग, ग्वालियर (म. प्र.)-474011
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
Project Implementation Unit : D-81, Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior (M.P.)-474011
फोन/Phone : 0751-2231485, ई-मेल/E-mail : gwalior@nhai.org; nhaigwalior@gmail.com



(संलग्नक- I)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई ग्वालियर (म0प्र0)

वचन-पत्र

ग्वालियर जिले के अंतर्गत वेस्टर्न बायपास मार्ग निर्माण में घाटीगांव हुकना (सोनचिड़िया) पक्षी अभयारण्य की प्रभावित होने वाली 38.025 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि एवं ईको सेंसेटिव जोन की 0.900 हेक्टेयर गैर वनभूमि के उपयोग के संबंध में जारी वन्यप्राणी स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक 7.1 के संबंध में।

इस आशय का वचन-पत्र प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक संस्था द्वारा ग्वालियर जिले के अंतर्गत वेस्टर्न बायपास मार्ग निर्माण में राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की स्टैंडिंग कमेटी की 72 वीं बैठक दिनांक 25.04.2023 में लिए गये निर्णय एवं मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड के निर्णय अनुसार प्रकरण में अधिरोपित शर्तों का पालन किया जावेगा।

(परियोजना निदेशक)

भा.रा.रा.प्रा., प.क्रि.इ. ग्वालियर (म.प्र.)



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई : डी-81, गोविन्दपुरी, सचिन तेन्दुलकर मार्ग, ग्वालियर (म. प्र.)-474011

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Project Implementation Unit : D-81, Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior (M.P.)-474011

फोन/Phone : 0751-2231485, ई-मेल/E-mail : gwalior@nhai.org; nhaigwalior@gmail.com



SHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

(संलग्नक-11)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई ग्वालियर (म0प्र0)

वचन-पत्र

ग्वालियर जिले के अंतर्गत वेस्टर्न बायपास मार्ग निर्माण में घाटीगांव हुकना (सोनचिड़िया) पक्षी अभयारण्य की प्रभावित होने वाली 38.025 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि एवं ईको सेंसेटिव जोन की 0.900 हेक्टेयर गैर वनभूमि के उपयोग के संबंध में जारी वन्यप्राणी स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक 7.4 के संबंध में।

इस आशय का वचन-पत्र प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक संस्था द्वारा ग्वालियर जिले के अंतर्गत वेस्टर्न बायपास मार्ग निर्माण के दौरान 600 वृक्षों के अतिरिक्त अन्य वृक्ष नहीं काटे जाएंगे।

(परियोजना निदेशक)

भा.रा.रा.प्रा., प.क्रि.इ. ग्वालियर (म.प्र.)



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई : डी-81, गोविन्दपुरी, सचिन तेंदुलकर मार्ग, ग्वालियर (म. प्र.)-474011

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Project Implementation Unit : D-81, Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior (M.P.)-474011

फोन/Phone : 0751-2231485, ई-मेल/E-mail : gwalior@nhai.org; nhaigwalior@gmail.com



(संलग्नक-111)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई ग्वालियर (म0प्र0)

वचन-पत्र

ग्वालियर जिले के अंतर्गत वेस्टर्न बायपास मार्ग निर्माण में घाटीगांव हुकना (सोनचिड़िया) पक्षी अभयारण्य की प्रभावित होने वाली 38.025 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि एवं ईको सेंसेटिव जोन की 0.900 हेक्टेयर गैर वनभूमि के उपयोग के संबंध में जारी वन्यप्राणी स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक 7.5 के संबंध में।

इस आशय का वचन-पत्र प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक संस्था द्वारा ग्वालियर जिले के अंतर्गत वेस्टर्न बायपास मार्ग निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व फॉरेस्ट क्लियरेंस की शर्तों के अनुसार एन.पी.व्ही. की राशि कैम्पा मद में जमा करायी जावेगी।

(परियोजना निदेशक)

भा.रा.रा.प्रा., प.क्रि.इ. ग्वालियर (म.प्र.)



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई : डी-81, गोविन्दपुरी, सचिन तेन्दुलकर मार्ग, ग्वालियर (म. प्र.)-474011

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Project Implementation Unit : D-81, Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior (M.P.)-474011

फोन/Phone : 0751-2231485, ई-मेल/E-mail : gwalior@nhai.org; nhaigwalior@gmail.com



SHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

(संलग्नक- IV)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई ग्वालियर (म0प्र0)

वचन-पत्र

ग्वालियर जिले के अंतर्गत वेस्टर्न बायपास मार्ग निर्माण में घाटीगांव हुकना (सोनचिड़िया) पक्षी अभयारण्य की प्रभावित होने वाली 38.025 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि एवं ईको सेंसेटिव जोन की 0.900 हेक्टेयर गैर वनभूमि के उपयोग के संबंध में जारी वन्यप्राणी स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक 7.6 के संबंध में।

इस आशय का वचन-पत्र प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक संस्था द्वारा ग्वालियर जिले के अंतर्गत वेस्टर्न बायपास मार्ग निर्माण कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य ही किया जायेगा।

(परियोजना निदेशक)

भा.रा.रा.प्रा., प.क्रि.इ. ग्वालियर (म.प्र.)



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई : डी-81, गोविन्दपुरी, सचिन तेंदुलकर मार्ग, ग्वालियर (म. प्र.)-474011

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Project Implementation Unit : D-81, Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior (M.P.)-474011

फोन/Phone : 0751-2231485, ई-मेल/E-mail : gwalior@nhai.org; nhaigwalior@gmail.com



SHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

(संलग्नक-V)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई ग्वालियर (म0प्र0)

वचन-पत्र

ग्वालियर जिले के अंतर्गत वेस्टर्न बायपास मार्ग निर्माण में घाटीगांव हुकना (सोनचिड़िया) पक्षी अभयारण्य की प्रभावित होने वाली 38.025 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि एवं ईको सेंसेटिव जोन की 0.900 हेक्टेयर गैर वनभूमि के उपयोग के संबंध में जारी वन्यप्राणी स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक 7.7 के संबंध में।

इस आशय का वचन-पत्र प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक संस्था द्वारा ग्वालियर जिले के अंतर्गत वेस्टर्न बायपास मार्ग निर्माण कार्य के दौरान वनों एवं वन्य प्राणियों को किसी भी प्रकार की क्षति/व्यवधान न हो इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

(परियोजना निदेशक)

भा.रा.रा.प्रा., प.क्रि.इ. ग्वालियर (म.प्र.)



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई : डी-81, गोविन्दपुरी, सचिन तेन्दुलकर मार्ग, ग्वालियर (म. प्र.)-474011

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Project Implementation Unit : D-81, Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior (M.P.)-474011

फोन/Phone : 0751-2231485, ई-मेल/E-mail : gwalior@nhai.org; nhaigwalior@gmail.com



SHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

(संलग्नक-VI)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई ग्वालियर (म0प्र0)

वचन-पत्र

ग्वालियर जिले के अंतर्गत वेस्टर्न बायपास मार्ग निर्माण में घाटीगांव हुकना (सोनचिड़िया) पक्षी अभयारण्य की प्रभावित होने वाली 38.025 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि एवं ईको सेंसेटिव जोन की 0.900 हेक्टेयर गैर वनभूमि के उपयोग के संबंध में जारी वन्यप्राणी स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक 7.8 के संबंध में।

इस आशय का वचन-पत्र प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक संस्था द्वारा ग्वालियर जिले के अंतर्गत वेस्टर्न बायपास मार्ग निर्माण हेतु अभयारण्य वन क्षेत्रों के भीतर पत्थर तोड़ने/वनभूमि में किसी भी प्रकार का उत्खनन/आग जलाना/नदी-नालों से अवैध रेत उत्खनन तथा वन संपदा को नुकसान न होना सुनिश्चित किया जावेगा।

(परियोजना निदेशक)

भा.रा.रा.प्रा., प.क्रि.इ. ग्वालियर (म.प्र.)



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई : डी-81, गोविन्दपुरी, सचिन तेन्दुलकर मार्ग, ग्वालियर (म. प्र.)-474011

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Project Implementation Unit : D-81, Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior (M.P.)-474011

फोन/Phone : 0751-2231485, ई-मेल/E-mail : gwalior@nhai.org; nhaigwalior@gmail.com



BHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

(संलग्नक-VII)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई ग्वालियर (म0प्र0)

वचन-पत्र

ग्वालियर जिले के अंतर्गत वेस्टर्न बायपास मार्ग निर्माण में घाटीगांव हुकना (सोनचिड़िया) पक्षी अभयारण्य की प्रभावित होने वाली 38.025 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि एवं ईको सेंसेटिव जोन की 0.900 हेक्टेयर गैर वनभूमि के उपयोग के संबंध में जारी वन्यप्राणी स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक 7.9 के संबंध में।

इस आशय का वचन-पत्र प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक संस्था द्वारा ग्वालियर जिले के अंतर्गत वेस्टर्न बायपास मार्ग निर्माण के दौरान अभयारण्य क्षेत्र में या उसकी सीमा के 250 मीटर में किसी भी प्रकार का श्रमिक कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

(परियोजना निदेशक)

भा.रा.रा.प्रा., प.क्रि.इ. ग्वालियर (म.प्र.)



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई : डी-81, गोविन्दपुरी, सचिन तेंदुलकर मार्ग, ग्वालियर (म. प्र.)-474011

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Project Implementation Unit : D-81, Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior (M.P.)-474011

फोन/Phone : 0751-2231485, ई-मेल/E-mail : gwalior@nhai.org; nhaigwalior@gmail.com



(संलग्नक-VIII)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई ग्वालियर (म0प्र0)

वचन-पत्र

ग्वालियर जिले के अंतर्गत वेस्टर्न बायपास मार्ग निर्माण में घाटीगांव हुकना (सोनचिड़िया) पक्षी अभयारण्य की प्रभावित होने वाली 38.025 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि एवं ईको सेंसेटिव जोन की 0.900 हेक्टेयर गैर वनभूमि के उपयोग के संबंध में जारी वन्यप्राणी स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक 7.10 के संबंध में।

इस आशय का वचन-पत्र प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक संस्था द्वारा ग्वालियर जिले के अंतर्गत अभयारण्य क्षेत्र में वेस्टर्न बायपास मार्ग निर्माण कार्य वनमण्डलाधिकारी/संबंधित वनाधिकारी की निगरानी/देखरेख में संपादित किया जावेगा।

(परियोजना निदेशक)

भा.रा.रा.प्रा., प.क्रि.इ. ग्वालियर (म.प्र.)



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई : डी-81, गोविन्दपुरी, सचिन तेन्दुलकर मार्ग, ग्वालियर (म. प्र.)-474011

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Project Implementation Unit : D-81, Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior (M.P.)-474011

फोन/Phone : 0751-2231485, ई-मेल/E-mail : gwalior@nhai.org; nhaigwalior@gmail.com



SHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

(संलग्नक-IX)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई ग्वालियर (म0प्र0)

वचन-पत्र

ग्वालियर जिले के अंतर्गत वेस्टर्न बायपास मार्ग निर्माण में घाटीगांव हुकना (सोनचिड़िया) पक्षी अभयारण्य की प्रभावित होने वाली 38.025 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि एवं ईको सेंसेटिव जोन की 0.900 हेक्टेयर गैर वनभूमि के उपयोग के संबंध में जारी वन्यप्राणी स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक 7.11 के संबंध में।

इस आशय का वचन-पत्र प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक संस्था द्वारा ग्वालियर जिले के अंतर्गत वेस्टर्न बायपास मार्ग निर्माण के दौरान वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 एवं वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(परियोजना निदेशक)

भा.रा.रा.प्रा., प.क्रि.इ. ग्वालियर (म.प्र.)



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई : डी-81, गोविन्दपुरी, सचिन तेन्दुलकर मार्ग, ग्वालियर (म. प्र.)-474011

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Project Implementation Unit : D-81, Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior (M.P.)-474011

फोन/Phone : 0751-2231485, ई-मेल/E-mail : gwalior@nhai.org; nhaigwalior@gmail.com



BHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

(संलग्नक-X)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई ग्वालियर (म0प्र0)

वचन-पत्र

ग्वालियर जिले के अंतर्गत वेस्टर्न बायपास मार्ग निर्माण में घाटीगांव हुकना (सोनचिड़िया) पक्षी अभयारण्य की प्रभावित होने वाली 38.025 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि एवं ईको सेंसेटिव जोन की 0.900 हेक्टेयर गैर वनभूमि के उपयोग के संबंध में जारी वन्यप्राणी स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक 7.12 के संबंध में।

इस आशय का वचन-पत्र प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक संस्था द्वारा ग्वालियर जिले के अंतर्गत वेस्टर्न बायपास मार्ग निर्माण के दौरान यदि प्रस्तावित मार्ग निर्माण में भूमि का व्यपवर्तन हो रहा हो तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत इसकी पृथक से अनुमति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) वन भवन, भोपाल से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(परियोजना निदेशक)

भा.रा.रा.प्रा., प.क्रि.इ. ग्वालियर (म.प्र.)



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई : डी-81, गोविन्दपुरी, सचिन तेन्दुलकर मार्ग, ग्वालियर (म. प्र.)-474011

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Project Implementation Unit : D-81, Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior (M.P.)-474011

फोन/Phone : 0751-2231485, ई-मेल/E-mail : gwalior@nhai.org; nhaigwalior@gmail.com



BHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

(संलग्नक-XI)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई ग्वालियर (म0प्र0)

वचन-पत्र

ग्वालियर जिले के अंतर्गत वेस्टर्न बायपास मार्ग निर्माण में घाटीगांव हुकना (सोनचिड़िया) पक्षी अभयारण्य की प्रभावित होने वाली 38.025 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि एवं ईको सेंसेटिव जोन की 0.900 हेक्टेयर गैर वनभूमि के उपयोग के संबंध में जारी वन्यप्राणी स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक 7.13 के संबंध में।

इस आशय का वचन-पत्र प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक संस्था द्वारा ग्वालियर जिले के अंतर्गत वेस्टर्न बायपास मार्ग निर्माण के दौरान उक्त अधिरोपित शर्तों/निर्देशों की अवहेलना अथवा पालन न होने पर यह अनापत्ति स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी।

(परियोजना निदेशक)

भा.रा.रा.प्रा., प.क्रि.इ. ग्वालियर (म.प्र.)



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई : डी-81, गोविन्दपुरी, सचिन तेन्दुलकर मार्ग, ग्वालियर (म. प्र.)-474011

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Project Implementation Unit : D-81, Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior (M.P.)-474011

फोन/Phone : 0751-2231485, ई-मेल/E-mail : gwalior@nhai.org; nhaigwalior@gmail.com



BHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

(संलग्नक-XII)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई ग्वालियर (म0प्र0)

वचन-पत्र

ग्वालियर जिले के अंतर्गत वेस्टर्न बायपास मार्ग निर्माण में घाटीगांव हुकना (सोनचिड़िया) पक्षी अभयारण्य की प्रभावित होने वाली 38.025 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि एवं ईको सेंसेटिव जोन की 0.900 हेक्टेयर गैर वनभूमि के उपयोग के संबंध में जारी वन्यप्राणी स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक 7.14 के संबंध में।

इस आशय का वचन-पत्र प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक संस्था द्वारा ग्वालियर जिले के अंतर्गत वेस्टर्न बायपास मार्ग निर्माण के दौरान राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड एवं मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड द्वारा अधिरोपित शर्तों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जावेगा।

(परियोजना निदेशक)

भा.रा.रा.प्रा., प.क्रि.इ. ग्वालियर (म.प्र.)